तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो हुक्म की तामील में जारी हुए
30/8/22	पक्ष सुनी, प्रार्थी पक्ष स्वीकार करने की प्रार्थना की। पत्रावली का अवलोकन किया। प्रार्थना पत्र और मु. अवाही में 6 पेड़ कटने पर अप्रार्थी के कीमत व क्षतिपूर्ति वसूल करने हेतु पेश किया और मु. अवाही में पेड़ काटने सम्बन्धी प्रावधान RTA की धारा 86 अन्तर्गत नहीं आते है अतः RTA के प्रावधानों के अन्तर्गत प्रा. पत्र नहीं आते है प्रार्थना पत्र खारिज किया जाता है पत्रावली फैसल शुमार कैदखाना के बाद होकर दाखिल दफ्तर हो। निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।	

Bindu
उपखण्ड अधिकारी
देवली (टोंक)